(27)

/निगरानी/रीवा/भू०रा/2018/1922

1- रामावतार तनय नर्बदा प्रसाद पटेल

2- कमलाकर प्रसाद पटेल तनय रामावतार पटेल

3- अखिलेश प्रसाद पटेल तनय रामावतार पटेल

निवासी ग्राम सोंठा, तहसील गुढ़, जिला रीवा, म०प्र०, ---निगरानीका

बनाम

बृजेश कुमार तनय रामावतार पटेल निवासी ग्राम सोंठा, तहसील गुढ़, जिला रीवा म०प्र० -

---गैरनिगरानी

निगरानी विरुद्ध आदेश माननीय अपर कलेक्टर महोदय, जिला रीवा म०प्र० के राजस्व प्रकरण 504/निगरानी/अ-27/2005-06, मे पारितआ दिनांक 06.03.2018, अन्तर्गत धारा 50 म० भू राजस्व संहिता 1959ई०।

====== ============= === =======

13.4.18

20.3.18

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 06.0 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

20/3/18

2:- यह कि गैरनिगरानीकर्ता बृजेश कुमार पटेल ने निगरानीकर्तागा विरुद्द माननीय अपर कलेक्टर महोदय रीवा के न्यायालय मे निगरानी किया गया था, जो निगरानी रजिस्ट्री दिनांक 26.07.2005 निगरान क्र. 1 नेनिगरानीकर्ता क्र. 2 व 3 को विभाजन पत्र निष्पादन करा के भू का नामांतरण विधिवत करा दिया गया था, मौके से कब्जा दखल दे दि गया, निगरानीकर्ता क्र. 1 रामावतार पटेल ने अपने स्वत्व व अधिपत्य का विभाजन पत्र का निष्पादन विधिक रूप से अपने पुत्रगणो के नाम करा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/1922

रामावतार विरूद्ध बृजेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 504/निगरानी/अ-27/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 06-03-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	